बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

पत्रांक– 7 स्था0 (2) अनु0–12/2025..... दिनांक– ...../2026

आदेश

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या–3/सी 2–2067/90 का0 13293 दिनांक– 05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक–447/स्था0, दिनांक–25.04.2025 से निर्गत जिला अनुकम्पा समिति, भोजपुर, आरा की दिनांक–25.04.2025 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के कंडिका–9 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक 1131/स्था0, दिनांक 03.09.2025 से प्राप्त है) एवं क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के पत्रांक 590, दिनांक 21.07.2025 से प्राप्त कागजातों के आलोक में **श्री कमलेश कुमार** (जन्म तिथि–28.01.1993) पुत्र **स्व0 गोपाल चौधरी, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सहार, भोजपुर,** वर्तमान पता–ग्राम–कोईलवर काजी मोहल्ला, वार्ड संख्या–06, पोस्ट–कोईलवर, थाना–कोईलवर, प्रखंड–कोईलवर, अनुमंडल–आरा, जिला–भोजपुर, पिनकोड–802160 को **वर्ग–03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक** के पद पर वेतनमान रू0 5200–20200/–, ग्रेड वेतन 1900/– (अपुनरीक्षित) लेबल (2) 19900/– मूलवेतन (पुनरीक्षित) तथा समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्ते के साथ पूर्णतः अस्थायी रूप से अनुकंपा के आधार पर सशर्त्त नियुक्त कर **कार्यालय विशेष उप निदेशक (प0 वि0), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मुजफ्फरपुर** के अन्तर्गत में **वर्ग–03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शर्त्तें निम्नवत हैं:–

2– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण–पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। **विशेष उप निदेशक (प0 वि0), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मुजफ्फरपुर** योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक **श्री कमलेश कुमार** से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें कि ***"वे भविष्य में मृतक स्व0 गोपाल चौधरी, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण–पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी।"*** शपथ पत्र की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।

3– नियुक्ति के पश्चात् अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्र के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

4– योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5– नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

6– उप सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक–1964 दिनांक–31.08.05 के अनुसार दिनांक–01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सरकारी निदेशों/नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8– योगदान के समय इस बात का शपथ–पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

9– योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी द्वारा **श्री कमलेश कुमार** से उपरोक्त सभी शर्त्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा–पत्र/वांछित कागजात प्राप्त करने तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। साथ ही, योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी वांछित कागजातों की मूल प्रति ससमय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10– योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

11– योगदान के समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार सिंह)
निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांकः– 7 स्था0 (2) अनु0–12/2025...295(ह)..... पटना–15, दिनांक...21/01.../2026

निबंधित प्रतिलिपिः– श्री कमलेश कुमार, पुत्र स्व0 गोपाल चौधरी, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, प्रथम वग्रीय पशु चिकित्सालय, सहार, भोजपुर वर्तमान पता–ग्राम–कोईलवर काजी मोहल्ला, वार्ड संख्या–06, पोस्ट–कोईलवर, थाना–कोईलवर, प्रखंड–कोईलवर, अनुमंडल–आरा, जिला–भोजपुर, पिनकोड–802160 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर वांछित कागजात/शपथ पत्र के साथ विशेष उप निदेशक (प0 वि0), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मुजफ्फरपुर में योगदान देना सुनिश्चित करें।

निबंधित प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

निबंधित प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के पत्रांक 590, दिनांक 21.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः– विशेष उप निदेशक (प0 वि0), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि अपने नियंत्रणाधीन स्थापना में लिपिक संवर्ग के स्वीकृत किसी भी रिक्त पद पर योगदान स्वीकृत करते हुये उपरोक्त कंडिका–1 (एक) में वर्णित वेतनमान में वेतनादि का नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

निबंधित प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक–447/स्था0, दिनांक–25.04.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।